न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 74/2021 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/194

उनवान

1. सरवन पुत्र छोटे जाति खटीक निवासी कस्बा जिला धौलपुर (मृतक)
   1/1. श्रीमती रामकटोरी पत्नी
   1/2. भगवान सिंह } पुत्रान } स्व0 सरवन जाति खटीक निवासी कस्बा बाडी जिला धौलपुर।
   1/3. सुरेश
   1/4. श्रीमती सौमोती पुत्री सरवन पत्नी ओमप्रकाश जाति खटीक निवासी समसाबाद जिला आगरा।
2. पोखन पुत्र छोटे (मृतक)
   2/1. श्रीमती मलौदा पत्नी स्व0 पोखन (फौत)
   2/2. दौजी } पुत्रान स्व0 पोखन जाति खटीक नि0 किरी बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
   2/3. पप्पू
   2/4. लीलाधर
3. रामदीन पुत्र वेदरिया (मृतक)
   3/1. मुन्नी देवी पुत्री स्व0 रामदीन पत्नी महेन्द्र सिंह जाति खटीक निवासी किरी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
4. रघुवीर पुत्र वेदरिया जाति खटीक निवासी किसी बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर (मृतक)
   4/1. श्रीमती बैजन्ती देवी पत्नी स्व0 रघुवीर (फौत)
   4/2. रूप सिंह } पुत्रान स्व0 रघुवीर जाति खटीक निवासी किरी वाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
   4/3. हरी सिंह
   4/4. पीतम सिंह
   4/5. हजारी

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रभु पुत्र चुन्नी (मृतक)
   1/1. भगवानदास } पुत्र स्व0 प्रभु जाति खटीक नि0 किरी वाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
   1/2. महेन्द्र
   1/3. श्रीमती लीला पुत्री स्व0 प्रभु पत्नी अशोक कुमार जाति खटीक निवासी राधा बिहारी मंदिर के पास धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
   1/4. श्रीमती किशनदेवी पुत्री स्व0 प्रभु पत्नी जगदीश जाति खटीक निवासी धौलपुर।
   1/5. श्रीमती मीरा पुत्री स्व0 प्रभु पत्नी विरन सिंह जाति खटीक निवासी नर्सरी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
   1/6. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 प्रभु पत्नी विज्जो जाति खटीक निवासी धौलपुर।
2. नत्थीलाल पुत्र दुर्गा जाति खटीक निवासी किरी वाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
3. ओमप्रकाश पुत्र दुर्गा (मृतक)

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3/1. श्रीमती भूरी पत्नी
3/2. रिंकू कुमार } पुत्रान } स्व0 ओमप्रकाश जाति खटीक निवासी किरी वाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
3/3. दुष्यंत
3/4. श्रीमती नर्वदा पुत्री स्व0 ओमप्रकाश पत्नी रामनिवास जाति खटीक निवासी भीमगढ तहसील वाडी जिला धौलपुर।
3/5. संगीता पुत्री स्व0 ओमप्रकाश जाति खटीक निवासी किरी वाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
3/6. नीरू } पुत्रीयान स्व0 ओमप्रकाश जाति खटीक नि0 किरी वाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर।
3/7. रूवी

4. रोशन पुत्र मिहीलाल (मृतक)
4/1. श्रीमती चमेली पत्नी स्व0 रोशन (मृतक)
4/2. माताप्रसाद पुत्र स्व0 रोशन जाति खटीक नि0 किरी वाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
4/3. भगवानदेवी पुत्री स्व0 रोशन पत्नी मुन्नालाल जाति खटीक नि0 नाला वाला बाई का बाजार ग्वालियर मध्य प्रदेश।

5. रामभरोसी पुत्र मिहीलाल (मृतक)
5/1. जगदीश पुत्र स्व0 रामभरोसी जाति खटीक निवासी किरी वाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
5/2. कमलेश पुत्र रामभरोसी (मृतक)
5/2/1. कुसुमा पत्नी
5/2/2. सुन्दर सिंह
5/2/3. एकम } पुत्र } स्व0 कमलेश जाति खटीक निवासी किरी वाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
5/2/4. गौरव
5/2/5. नफरीत पुत्री
5/3. सुनहरी पुत्र स्व0 रामभरोसी जाति खटीक नि0 किरी वाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
5/4. पुष्पा पुत्री स्व0 रामभरोसी पत्नी अमर सिंह जाति खटीक निवासी भीमगढ तहसील बाडी जिला धौलपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

.....असल रैस्पोडेण्ट

7. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री रघुवीर पत्नी सतीशचन्द } जाति खटीक नि0 फतेहाबाद जिला आगरा।
8. श्रीमती बबली उर्फ ऊषा पुत्री रघुवीर पत्नी अमरीश

.....तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.10.2021 प्रकरण संख्या 02/2011 उनवान सरवन बनाम प्रभु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी।

अभिभाषकगण :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री चन्द्रपाल अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–06.03.2025

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश

भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी परिशिष्ठ अ, ब, स पक्षकारान के पूर्वज वेदरिया, छोटे, चुन्नी व मिहीलाल पुत्रगण अतिपाल खास भाई थे तथा पांचवा भाई पातरिया लाबल्द फौत हो गया था, उसका समस्त हिस्सा भाईयो को मिला। विवादित आराजी में पक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। यह है महकमा बन्दोबस्त ने साविक विवादित आराजीयात के नये नम्बरान कायम किये और साविक इन्द्राजातो को गैर कानूनी रूप से परिवर्तित कर दिया, जो खिलाफ मौका व कानून है। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को तलव किया गया। प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये, प्रतिवादीगण रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करते हुये, दावा वादी अपीलाण्ट को स्थगित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा धारा 10 व 11 से बाधित मानते हुये, गलत रूप से स्थगित कर दिया। आदेश 7 नियम 11 में दावा तभी खारिज किया जा सकता है, जब वादकरण का अभाव हो या कोर्ट फीस कम लगायी हो या विधि से वर्जित हो। उक्त तीनो ही बिन्दु प्रकरण में नही थे। धारा 10 रेसज्यूडिकेटा की है। इसलिये रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 गलत है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय एक तरफ तो दावे की कार्यवाही को स्थगित कर रहे हैं वही दूसरी तरफ डिक्री भी जारी कर रहे हैं। स्थगन की कोई डिक्री जारी नहीं होती। धारा 10 भी तभी लागू होगी जब दोनो वादो की तनकी और चाहा गया अनुतोष एक समान होगें। जबकि हस्तगत प्रकरण में कोई तनकी ही कायम नहीं हुयी। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में तीन दावे प्रस्तुत हुये हैं। दावा संख्या 14/92 उनवान दुर्गा बनाम रोशन में खसरा नम्बर 3481 से 3484 विवादित हैं एवं उक्त दावा खातेदारी अधिकारो की उद्घोषणा का है। दूसरा दावा 233/91 उनवान दुर्गा बनाम रोशन में भी उक्त खसरा नम्बर विवादित हैं एवं उक्त दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है। दावा संख्या 113/92 उनवान रोशन बनाम दुर्गा उद्घोषणा का दावा है, जिसमें भी खसरा नम्बर 3481 से 3484 ही विवादित हैं। उक्त दावे अधीनस्थ न्यायालय से निर्णित हो चुके हैं। जिनके विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुयी, जो आंशिक स्वीकार होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी। न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में अपील प्रस्तुत हुयी, जो आंशिक स्वीकार होकर न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित हुयी, जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं। अपीलाण्ट का दावा भू प्रबन्ध संक्रिया के दौरान हुयी गलती को शुद्ध करने का है। पूर्व के तीनो दावो का अनुतोष पृथक–पृथक है। विवादित आराजी भी भिन्न है। पूर्व के दावो में अपीलाण्ट सिर्फ एक दावे में बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार मुकदमा थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पूर्व के दावो का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। केवल प्रतिवादीगण रैस्पो0 के कथनो के आधार पर ही दावा स्थगित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के

खिलाफ है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2011(3) पेज 1066, 2014(4) पेज 1581, आरबीजे 2018 पेज 376, आरआरडी 2012 पेज 842, आरएलडब्ल्यू 2011(4) पेज 3627 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। पूर्व में विवादित आराजी बाबत् तीन दावे प्रस्तुत हुये, जो अधीनस्थ न्यायालय से निर्णित होकर उनकी अपील न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उक्त सभी दावो में विवादित आराजी एवं पक्षकार समान ही हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से अपीलाण्ट के दावे को स्थगित किया है। जब तक विवादित आराजी बाबत् अपीलो का अंतिम तौर पर निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अपीलाण्ट के दावे पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1987 पेज 177, आरआरडी 1991 पेज 139, 1992 पेज 226, 1999 पेज 514, 2000 पेज 322 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया। प्रतिवादीगण रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश करते हुए, प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि पूर्व में इसी विवादित आराजी बाबत माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर तक विचार किया जा चुका है; एवं प्रकरण में अंकित विवादित आराजी से संबंधित अपील वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरान्त न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं। अतः वादीगण अपीलाण्ट को पुनः उसी विवादित आराजी बाबत् नये सिरे से दावा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादीगण अपीलाण्ट का दावा (धारा 10 सीपीसी) पूर्व न्याय (**Res judicata**) के सिद्धान्त पर सुने जाने योग्य नहीं माना जाकर, प्रतिवादीगण रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए, दावा वादीगण अपीलाण्ट को न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील दुर्गा बनाम रोशन 74/03 व 75/03 के अंतिम रूप से निस्तारण तक स्थगित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। हमारा मत है कि पूर्व न्याय का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। जिसका विनिश्चय साक्ष्य एवं दस्तावेजात के बिना किया जाना सम्भव नहीं है। पूर्व न्याय के बिन्दु का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय को पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाब दावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के पूर्व निर्णयो को देखना होगा, जो साक्ष्य की विवेचना की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विवेचना, जवाब दावा एवं दोनों पक्षों के साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर देने के बाद ही सम्भव हैं। बिना साक्ष्य का अवसर दिये, प्रारम्भिक स्तर पर इस प्रकार की कार्यवाही विधिक नहीं मानी जा सकती है, तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु, साक्ष्य आदि लेने के बाद ही निर्णीत किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 द्वारा ली गयी आपत्ति के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर

वाद को स्थगित करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त जब अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रैस्पो0 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत हो ही गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को यथोचित विवाद्यक (तनकीयात) कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद का विधिसम्मत तरीके से निस्तारण करना चाहिए था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के आधार पर वाद पत्र को केवल तभी खारिज किया जा सकता है, जब वाद पत्र में अंकित कथन मात्र से यह प्रतीत हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है। हस्तगत प्रकरण में तो प्रतिवादीगण रैस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उठायी गयी आपत्तियों की पुष्टि हेतु अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पूर्व के निर्णय आदि प्रस्तुत ही नहीं किये। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उठायी गयी आपत्तियों बाबत् प्रतिवादीगण रैस्पो0 के मात्र मौखिक कथनो को सत्य मानकर, दावा वादीगण अपीलाण्ट को स्थगित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रतिवादीगण रैस्पो0 के मौखिक कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करते हुए, वाद स्थगित किया है, वह आधार अभी साक्ष्य के मोहताज हैं। हम यह भी पाते हैं कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्रतिवादीगण रैस्पो0 को नहीं था। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की शक्तियों का प्रयोग केवल न्यायालय ही कर सकता है। जैसा कि वादीगण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2011(3) पेज 1066 में माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि आदेश 07 निमय 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत, अधीनस्थ न्यायालय का वांद को स्थगित किये जाने का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित होने के कारण स्थिर नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2021 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर